5. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये।

विषय संख्या–2 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतन खण्ड के भूखण्ड संख्या–सी0पी0–6 पर प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुतिः–

शारदा नगर योजना के अन्तर्गत 45.0 मी0 चौडे मार्ग एव शहीद पथ पर स्थित 12640.45 वर्गमी0 के व्यवसायिक भूखण्ड को सम्पत्ति द्वारा विक्रय न करा सकने के दृष्टिगत रिक्त को आवासीय भू–उपयोग मे परिवर्तित किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाक 24.10.2016 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी सहमति के क्रम में भूखण्ड पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र को परीक्षण किया गया है। भू–उपयोग परिवर्तन की शेष कार्यवाही प्रगति में है। प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्ड पर प्रस्तावित किये गये समूह आवास योजना के भवन में बेसमेन्ट, भूतल सहित आठ तल के निर्माण कय योग्य एफ0ए0आर0 के साथ 27.3 मी0 ऊँचाई के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित है। प्रस्ताव में भू–आच्छादन, एफ0ए0आर0, सेट बैक, पार्किंग आदि भवन उपविधि 2008 के अनुरूप होने के दृष्टिगत वाहनों की पार्किंग का प्राविधान बेसमेन्ट एव खुले स्थल पर प्रस्तावित है एव प्रस्ताव भवन उपविधि के अनुरूप होने के दृष्टिगत कय योग्य एफ0ए0आर0 समिति से स्वीकृति के उपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ति कराने की शर्तो के अन्तर्गत समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति/निर्गत की संस्तुति की जाती है:–

प्रतिबन्धः

1. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनापत्ति में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. भवन निर्माण मे नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्त के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धो को सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
3. शासनादेश के क्रम मे भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग एव एस0टी0पी0 का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र, प्रमाण पत्र, मानचित्र आदि प्राप्त किया जाये।
4. नेशनल बिल्डिग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जाये।
5. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये।

(जे0एम0 रेड्डी)
मुख्य नगर नियोजक
ल0वि0प्रा0

(अरूण कुमार)
सचिव,
ल0वि0प्रा0

अनुमोदित

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष,
ल0वि0प्रा0, लखनऊ।

Scanned by CamScanner

(28)

मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 30.12.2016 को सम्पन्न तकनीकी समिति की बैठक का कार्यवृत्तः—

उपस्थितिः—

1. श्री सत्येन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
2. श्री अरूण कुमार, सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
3. श्रीमती सीमा सिंह, अपर सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
4. श्री जे. एन. रेड्डी, मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0.
5. श्री शेष नाथ यादव, एफ0एस0ओ0 प्रतिनिधि, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गोमती नगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थिति

जोनल अधिशासी अभियन्ता व उनके सहायक।

कार्यवाहीः

बैठक मे प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित समूह आवास योजना के प्रकरण पर विस्तृत विचार—विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निम्न निर्णय प्रदान कियाः—

विषय संख्या—1 कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत मानसरोवर, सेक्टर—ओ के व्यवसायिक भूखण्ड संख्या—सी—8 पर प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुतिः—

कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत मानसरोवर योजना के सेक्टर—ओ मे 24.0 मी0 चौडे मार्ग एव शहीद पथ पर स्थित 5485.00 वर्गमी0 के व्यवसायिक भूखण्ड को सम्पत्ति द्वारा विक्रय न करा सकने के दृष्टिगत रिक्त को आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तित किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 मे प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी सहमति के क्रम में भूखण्ड पर प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र को परीक्षण किया गया है। प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्ड पर प्रस्तावित किये गये समूह आवास योजना के भवन में बेसमेन्ट, स्टिल्ट सहित सात तल के निर्माण कय योग्य एफ0ए0आर0 के साथ 23.5 मी0 ऊँचाई का भवन प्रस्तावित किया गया है। भवन में 147 आवासीय इकाईया प्रस्तावित है। प्रस्ताव में भू—आच्छांदन, एफ0ए0आर0, सेट बैक, पार्किंग आदि भवन उपविधि 2008 के अनुरूप होने के दृष्टिगत वाहनों की पार्किंग का प्राविधान बेसमेन्ट, स्टिल्ट एवं खुले स्थल पर प्रस्तावित है एव प्रस्ताव भवन उपविधि के अनुरूप होने के दृष्टिगत कय योग्य एफ0ए0आर0 समिति से स्वीकृति के उपरान्त भू—उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ति कराने की शर्तो के अन्तर्गत समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति/निर्गत की संस्तुति की जाती हैः—

प्रतिबन्धः

1. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनापत्ति में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. भवन निर्माण मे नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्त के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
3. शासनादेश के कम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग एवं एस0टी0पी0 का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र, प्रमाण पत्र, मानचित्र आदि प्राप्त किया जाये।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जाये।

Scanned by CamScanner